17/8/21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अत: वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
1/10/2021	पत्रावली में अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र मय स्टाम्प प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त पत्रावली में अंतिम निर्णय पारित फरमाया गया और अधिवक्ता को निर्देशित किया कि स्टाम्प 100 रूपया का पेश करने पर डिक्री जारी की जावे। अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मय स्टाम्प प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अत: निर्णयानुसार डिक्री मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गयी। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि -भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS)

वादपत्र संख्या 34/2019 दायर तारीख 25/06/2019

अनवान

1. दिनेश पिता कन्हैयालाल तिवाड़ी जाति ब्राह्मण उम्र 55 वर्ष निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. जमनाशंकर पिता कन्हैयालाल तिवाड़ी जाति ब्राह्मण उम्र 50 वर्ष निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. सोहनदेवी पत्नि कन्हैयालाल तिवाड़ी जाति ब्राह्मण उम्र 75 वर्ष निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

____वादीगण

बनाम

1. महेश पिता कन्हैयालाल तिवाड़ी जाति ब्राह्मण उम्र 43 वर्ष निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

____विपक्षीगण

उपस्थित :– वादी की ओर से – श्री अनिल कुमार धाकड़ अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से – एक तरफा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 17/08/2021

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा दिनांक 19.06.2019 को वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। जिसे बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। नोटिस प्रतिवादीगण को जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 18.07.2019 को जवाब पेश किया। जिसमें जवाब के अन्तिम पैरा में स्वयं प्रतिवादी संख्या 01 ने राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज अभिलेख मे 1/4 हिस्सें अनुसार भूमि का विभाजन कराने की सहमति प्रकट की।

अतः उक्त प्रकरण मे दिनांक 18/07/2019 को **प्राथमिक डिक्री** इस आशय की जारी हुयी कि ग्राम **बिजौलियां कलां** पटवार हल्का **बिजौलियां कलां स्थित आराजी नम्बर 235 रकबा 4–18 बीघा, आराजी नम्बर 1745/240 रकबा 2–15 बीघा कुल किता 2 रकबा 7–13 बीघा** भूमि का विभाजन तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/राजस्व/2020/282 दिनांक 02.03.2020 से मौका पर्चा ट्रेस, बंटवाड़ा प्रस्ताव इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादीगण को स्वीकार है।

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार **बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर** पक्षकारों की उपस्थिति मे तैयार करना तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम **अन्तिम रूप से डिक्री** किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो मे पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01	जमनाशंकर पि० कन्हैयालाल तिवाड़ी सा०देह खातेदार	बिजौलियां	235/1	1-16	बारानी II	1.26
	योग		**किता 01**	**1-16**	-	1.26
02	सोहनदेवी पत्नी स्व. कन्हैयालाल तिवाड़ी सा०देह खातेदार	बिजौलिया	235, 2015/240	1-04 0-12	बारानी II बारानी III	0.84 0.30
	योग		किता 02	1-16	-	1.14
03	दिनेश पिता कन्हैयालाल तिवाड़ी सा०देह खातेदार	बिजौलियां	235/2, 1745/240	0-18 0-17	बारानी II बारानी III	0.70 0.43
	योग		किता 02	1-15		1.03
04	दिनेश, जमनाशंकर, महेश पिता कन्हैयालाल सोहनी देवी पत्नी कन्हैयालाल तिवाड़ी सा०देह खातेदार	बिजौलियां	2017/240	0-10	बारानी III	0.25
	योग		किता 01	0-10	-	0.25
05	महेश पिता कन्हैयालाल तिवाड़ी सा०देह खातेदार	बिजौलियां	235/3 2016/240	1-00 0-16	बारानी II बारानी III	0.70 0.40
	योग		किता 02	1-16	-	1.10

उक्तानुसार **अन्तिम डिक्री** जारी की जाती है। वकील वादीगण निर्धारित नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17/08/2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा